नवभारत टाइम्स - आलसंस्करण
28.06.2017

चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गढेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन – 325 208
टेलीफोन नं.: 0744–2782915; फैक्स नं.: 07455–274130
कॉर्पोरेट कार्यालयः "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110 025
टेलीफोन नं.: +91–11–46581300, 41697900; फैक्स नं. +91–11–40638679
ई–मेलः isc@chambal.in; वेबसाइटः www.chambalfertilisers.com
(सीआईएनः L24124RJ1985PLC003293)

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, यथा संशोधित, ('आईइपीएफ नियम'), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बंधित अंशों जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से बेदावा/अदत्त रहे है, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) के पक्ष में हस्तांतरित किया जाना वांछित है।

आईइपीएफ नियम के अनुसरण में, कंपनी ने उन सभी अंशधारकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं उसके उपरांत कंपनी द्वारा घोषित सभी लाभांश बेदावा/अदत्त है तथा जिनके अंश आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने है, आवश्यक सूचना भेज दी है। ऐसे अंशधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर "Investors & Policies" अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशधारक आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशो का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट पर जाँच कर सकते है।

सम्बन्धित अंशधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं उसके उपरान्त के अपने अदत्त लाभांश हेतु अपना आवेदन कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट – मेसर्स जुआरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली–110 025 को भेजें। अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु आवेदन का प्रारुप कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि अदत्त लाभांश का वैध दावा मेसर्स जुआरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड को 27 सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बन्धित अंशों को आईइपीएफ नियम के अन्तर्गत निधारित प्रक्रिया के अनुसार आईइपीएफ को हस्तांतरित कर देगी।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से आईइपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक सेवा केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन" प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110025 (टेलीफोन नं: +91–11–46581300, 41697900, ई–मेलः isc@chambal.in) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
हस्ता/–
राजवीर सिंह
असिस्टैंट वाईस प्रेसिडेंट– लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 जून, 2017

The Economic Times - All Editions - 28.6.2017

CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN-325 208
Tel No. 0744-2782915; Fax No. 07455-274130
Corporate Office: 'Corporate One', First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110 025
Tel. Nos.: +91-11-46581300, 41697900; Fax No.: +91-11-40638679
Email: isc@chambal.in, Website: www.chambalfertilisers.com
(CIN: L24124RJ1985PLC003293)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended (' IEPF Rules"), all shares in respect of which dividend has remained unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company in favour of Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

In pursuance of the IEPF Rules, the Company has sent necessary intimation to the concerned shareholders who have not claimed / encashed dividend for the Financial Year 2009-10 and all subsequent dividends declared by the Company and whose shares are liable to be transferred to IEPF. The details of such shareholders have been uploaded on the website of the Company at www.chambalfertilisers.com under the section "Investors & Policies". The shareholders may access the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF.

The concerned shareholders are requested to claim their unpaid dividend for the financial year 2009-10 onwards by making an application to the Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Zuari Investments Limited, "Corporate One", 1st Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi – 110025. The format of the application for claiming unpaid dividend is available on the website of the Company mentioned above. In case a valid claim for the unpaid dividend is not received by M/s. Zuari Investments Limited on or before September 27, 2017, the Company shall transfer such shares to IEPF in accordance with the procedure prescribed under the IEPF Rules.

Shareholders may kindly note that the shares transferred to IEPF including the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from Investor Education and Protection Fund Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules.

In case the shareholders have any queries in this regard, they may contact the Investor Service Centre of the Company at "Corporate One", 1st Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110 025. (Tel: 011-46581300, 41697900, email: isc@chambal.in).

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
Sd/-
Rajveer Singh
Assistant Vice President – Legal & Secretary

Place : New Delhi
Date : June 27, 2017

राजस्थान पत्रिका - कोटा - 28.6.2017

चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गढेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन – 325 208
टेलीफोन नं.: 0744–2782915; फैक्स नं.: 07455–274130
कॉर्पोरेट कार्यालयः "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110 025
टेलीफोन नं.: +91–11–46581300, 41697900; फैक्स नं. +91–11–40638679
ई–मेलः isc@chambal.in; वेबसाइटः www.chambalfertilisers.com
(सीआईएनः L24124RJ1985PLC003293)

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, यथा संशोधित, ('आईइपीएफ नियम'), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बंधित अंशों जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से बेदावा/अदत्त रहे हैं, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईइपीएफ') के पक्ष में हस्तांतरित किया जाना वांछित है।

आईइपीएफ नियम के अनुसरण में, कंपनी ने उन सभी अंशधारकों को, जिनके वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं उसके उपरांत कंपनी द्वारा घोषित सभी लाभांश बेदावा/अदत्त है तथा जिनके अंश आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना भेज दी है। ऐसे अंशधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर "Investors & Policies" अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशधारक आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशों का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट पर जाँच कर सकते हैं।

सम्बन्धित अंशधारकों से अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं उसके उपरान्त के अपने अदत्त लाभांश हेतु अपना आवेदन कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट – मेसर्स जुआरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली–110 025 को भेजें। अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु आवेदन का प्रारुप कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि अदत्त लाभांश का वैध दावा मेसर्स जुआरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड को 27 सितम्बर 2017 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बन्धित अंशों को आईइपीएफ नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईइपीएफ को हस्तांतरित कर देगी।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से आईइपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक सेवा केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन" प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र जसोला, नई दिल्ली – 110025 (टेलीफोन नं.: +91–11–46581300, 41697900, ई–मेलः isc@chambal.in) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
हस्ता/–
राजवीर सिंह
असिस्टैंट वाईस प्रेसिडेंट– लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 जून, 2017

दैनिक भास्कर - दिनांक अप्रैल 14, 2017 - कोटा Edition

चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गढ़ेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन – 325 208
टेलीफोन नं.: 0744–2782915; फैक्स नं.: 07455–274130
कॉर्पोरेट कार्यालयः "कॉर्पोरेट-वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यावसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110 025
टेलीफोन नं.: +91–11–46581300, 41697900; फैक्स नं. +91–11–40638679
ई–मेलः isc@chambal.in; वेबसाइटः www.chambalfertilisers.com
(सीआईएनः L24124RJ1985PLC003293)

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, यथा संशोधित, ("आईईपीएफ नियम"), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बन्धित अंशों जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से देदावा/अदत्त है, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के पक्ष में हस्तांतरित किया जाना वांछित है।

आईईपीएफ नियम के अनुसरण में कम्पनी ने उन सम्बन्धित अंशधारकों को, जिनके अंश आईईपीएफ को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना भेज दी है और ऐसे अंशधारकों का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर "Investors & Policies" अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशधारक आईईपीएफ को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशों का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट पर जाँच कर सकते हैं।

सम्बन्धित अंशधारकों से अनुरोध है कि वर्ष 2009–10 एवं उसके उपरान्त के अपने अदत्त लाभांश हेतु अपना आवेदन कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट – मैसर्स जुआरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यावसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली–110 025 को भेजें। अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु आवेदन का प्रारूप कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि अदत्त लाभांश का वैध दावा मैसर्स जुआरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड को 15 मई 2017 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बन्धित अंशों को आईईपीएफ नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ को हस्तांतरित कर देगी।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से आईईपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक सेवा केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन" प्रथम मंजिल, 5, व्यावसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110025 (टेलीफोन नं: +91–11–46581300, 41697900, ई–मेल isc@chambal.in) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
हस्ता/–
राजवीर सिंह
असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट – लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक अप्रैल 13, 2017

नवभारत टाइम्स – Dated 14th April 2017 – All Editions

चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गढेपान, जिला कोटा, राजस्थान, पिन – 325 208
टेलीफोन नं.: 0744–2782915; फैक्स नं.: 07455–274130
कॉर्पोरेट कार्यालयः "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110 025
टेलीफोन नं.: +91–11–46581300, 41697900; फैक्स नं. +91–11–40638679
ई–मेलः isc@chambal.in; वेबसाइटः www.chambalfertilisers.com
(सीआईएनः L24124RJ1985PLC003293)

अंशधारकों हेतु सूचना

समता अंशों का विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, यथा संशोधित, ('आईइपीएफ नियम'), के अनुपालन में ऐसे सभी सम्बंधित अंशों जिनके लाभांश लगातार सात वर्षों या उससे अधिक से बेदावा/अदत्त हैं, उन्हें कम्पनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि ('आईइपीएफ') के पक्ष में हस्तांतरित किया जाना वांछित है।

आईइपीएफ नियम के अनुसरण में, कंपनी ने उन सम्बन्धित अंशधारकों को, जिनके अंश आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने हैं, आवश्यक सूचना भेज दी है और ऐसे अंशधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.chambalfertilisers.com पर "Investors & Policies" अनुभाग के अन्तर्गत अपलोड कर दिया गया है। अंशधारक आईइपीएफ को हस्तांतरित किये जाने वाले अंशों का विवरण, कम्पनी की वेबसाइट पर जाँच कर सकते हैं।

सम्बन्धित अंशधारकों से अनुरोध है कि वर्ष 2009–10 एवं उसके उपरान्त के अपने अदत्त लाभांश हेतु अपना आवेदन कम्पनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट – मेसर्स जुआरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड "कॉर्पोरेट वन", प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली–110 025 को भेजें। अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु आवेदन का प्रारुप कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि अदत्त लाभांश का वैध दावा मेसर्स जुआरी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड को 15 मई 2017 तक प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी सम्बन्धित अंशों को आईइपीएफ नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईइपीएफ को हस्तांतरित कर देगी।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि आईइपीएफ को हस्तांतरित अंशों को सभी उपार्जित लाभों सहित, यदि कोई हो, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से आईइपीएफ नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशधारक द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है।

इस संदर्भ में अंशधारकों के यदि कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी के निवेशक सेवा केन्द्र, "कॉर्पोरेट वन" प्रथम मंजिल, 5, व्यवसायिक केन्द्र, जसोला, नई दिल्ली – 110025 (टेलीफोन नं: +91–11–46581300, 41697900, ई–मेलः isc@chambal.in) से संपर्क कर सकते हैं।

कृते चम्बल फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
हस्ता/-
राजवीर सिंह
असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेंट – लीगल एवं सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः अप्रैल 13, 2017

Economic Times- dated 14th April, 2017
All Editions

CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN-325 208
Tel No. 0744-2782915; Fax No. 07455-274130
Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110 025
Tel. Nos.: +91-11-46581300, 41697900; Fax No.: +91-11-40638679
Email: isc@chambal.in, Website: www.chambalfertilisers.com
(CIN: L24124RJ1985PLC003293)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("IEPF Rules"), all shares in respect of which dividend has been unclaimed/unpaid for seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company in favour of Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

In pursuance of the IEPF Rules, the Company has sent necessary intimation to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF and the details of such shareholders have been uploaded on the website of the Company at www.chambalfertilisers.com under the section "Investors & Policies". The shareholders may access the website of the Company to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF.

The concerned shareholders are requested to claim their unpaid dividend for the year 2009-10 onwards, by making an application to the Share Transfer Agent of the Company i.e. M/s. Zuari Investments Limited, "Corporate One" 1st Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi – 110025. The format of the application for claiming unpaid dividend is available on the website of the Company mentioned above. In case a valid claim for the unpaid dividend is not received by M/s. Zuari Investments Limited on or before May 15, 2017, the Company shall transfer such shares to IEPF in accordance with the procedure prescribed under the IEPF Rules.

Shareholders may kindly note that the shares transferred to IEPF including the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from Investor Education and Protection Fund Authority after following the procedure prescribed under the IEPF Rules.

In case the shareholders have any queries in this regard, they may contact the Investor Service Centre of the Company at "Corporate One", 1st Floor, 5, Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110 025. (Tel: 011-46581300, 41697900, email: isc@chambal.in).

For Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
Sd/-
Rajveer Singh
Assistant Vice President – Legal & Secretary

Place : New Delhi
Date : April 13, 2017